

पत्रांक 14 / एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धन्ती देवी पति-राजेश राय ग्राम+पोस्ट-गौसपुर थाना-राजापाकड़ जिला-वैशाली सीएमसीनं०-972060 जी०	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मधुरेन्दु कुमार भुषण पिता-सरदुल राम ग्राम-भभुआ-11 पो०+थाना-भभुआ जिला-भभुआ, कैमुर सी.एमसीनं०-823782 जी०	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,75,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पचहतर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं०754181.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम- भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

ॐ

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~751181~~.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1673 (14)

पटना, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शिवचन्द्र राम मा० पूर्व मंत्री / सभी संबंधित मरीजों को / श्री अजीत शर्मा, मा०स०वि०स० भागलपुर /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
12.10.17

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,

फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुलोचना देवी पति-स्व. श्री महतो ग्राम-हेमनारायण चक पोस्ट-रैसा थाना-चंडी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	चन्द्र प्रकाश जयसवाल पिता-स्व. पवन प्रसाद ग्राम-कटहरी बाग, महावीर स्थान, छपरा पोस्ट-साहेबगंज थाना-नगर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	सुरेश राय पिता-राम लक्षण राय ग्राम-गैसपुर सलखन्नी पोस्ट-जहांगीरपुर सलखन्नी थाना-महुआ जिला-वैशाली	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	अदिति कुमारी पिता-विजय कुमार सिंह ग्राम-कनौसी पोस्ट-दुनही थाना-गढ़पुरा जिला-बेगूसराय	कोकलीयर इम्प्लांट	₹ 5,00,000/- (पांच लाख) स्वीकृत।

7/11/17

5	सुबोध कुमार पिता-लक्ष्मी साव ग्राम-नगला नायक नगर माधव मिल्स, पोस्ट-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,30,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ...~~454182~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **579310110002528** खाता धारक का नाम-'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~454182~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

₹/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1646(14)

पटना, दिनांक 09.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री उपेन्द्र पासवान, मा० स० वि० स० बखरी / सभी संबंधित मरीजों/आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,

मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सगुप्ता नसरीन पिता-महबुब हसन ग्राम-सौदागर पट्टी पो०+थाना+जिला-किशनगंज	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 818815 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर,ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~878815~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1674 (14)

पटना, दिनांक

12.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई.टी. मैनेजर, स्वा0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Maharaj
12/10/17
निदेशक प्रमुख
श्री. व. लाल

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शहनाज खातुन पति-मो० उजाले कुरैशी ग्राम-इस्लामपुर पोस्ट+थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	उपेन्द्र यादव पिता-स्व. महावीर यादव ग्राम+पो०-सहुरीया पूर्वी थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	पुष्पांजलि कुमारी पति-सुधीर प्रजापति ग्राम-बरंडा पोस्ट-बालुगंज थाना-ढिबरा जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
4	हाजरा खातुन पति-सलीम अंसारी ग्राम-लहलादपुर पो०-पंडितपुर थाना-जनता बाजार जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	रामजी चौधरी पिता-टिमल चौधरी ग्राम-पो०-पाई बिगहा थाना-बेलागंज जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

6	मीरा देवी पति-स्व. रामलखन शर्मा ग्राम-मरसैती पो0+थाना-तेघड़ा जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,20,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,20,000 /- (सात लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 754183 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 754183 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1658(14)

पटना, दिनांक 10.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

म/र/११
११/१०/१७
निदेशक प्रमुख
११.१०.१७

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

देशुन अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीच्युट

देशुन मोड़,कसबा गोपाल पोलपार्क

कोलकता-700107

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक. 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० सद्दाम पिता-मो० अहमद ग्राम-कसबा खेरही पोस्ट+थाना-शाहकुंड जिला-भागलपुर	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 848802 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 33727751367, खाता धारक का नाम- देशुन अस्पताल एंड हार्ट इंस्टीच्युट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- रूबी पार्क ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0008438 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~848812~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

ज्ञापांक 1675 (14)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10/10/17
निदेशक प्रमुख
श्री. व. व. व. व.

सं० सं० 14/एम 11-2/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रंजन देवी पति-गोरख यादव ग्राम-खाप बनकट तिवारी टोला पो०-किलपुर थाना-नौतन जिला-सीवान पंजीसं०-1484/17	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	अंशु कुमारी पिता-अखिलेश तिवारी ग्राम-कर्णपुरा पोस्ट-मुडिका थाना-सिगोडी जिला-पटना एमआरडीनं०-819035	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	नारद सिंह पिता-हरिहर सिंह ग्राम-मंगलपुर गुदरीया पो०-मंगलपुर बाजार थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण एमआरडीनं०-1391505	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	नारायण यादव पिता-योगी यादव ग्राम-गंगटी पोस्ट+थाना-आमस जिला-गया एमआरडीनं०-1391666	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

5	समर कुमार पिता-शंभु कुमार ग्राम-मिर्जापुर बिलिया पो0-थाना-सासाराम जिला-रोहतास एमआरडीनं0-1286048	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,40,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,40,000 /-(चार लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~848803~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता हैं
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...~~848803~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1657(14)

पटना दिनांक 10.10.17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ संबंधित मरीज/ श्री रमेश सिंह कुशवाहा, मा0 स0वि0स0 जीरादेई / श्री नारायण प्रसाद मा0 स0वि0स0/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
31.10.17

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एंड एसिसयेट
लखनऊ, उ० प्र०-226003

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पता निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	इमामुद्दीन अंसारी पिता-अब्दुल्लाह अंसारी ग्राम-खेम मटिहनीया पो०-दुर्ग मटिहनीया थाना-विश्वम्भरपुर जिला-गोपालगंज ओ०पीडीनं०-028557	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,00,000 /- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल ₹ 1,00,000 /- (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं०... 848804 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक [0 / 10 / 17]

ज्ञापांक 1656(14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री रामसेवक सिंह, मा० सं० वि० सं० हथुआ/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
20.10.17

सं० सं०- 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जितेन्द्र कुमार पिता-विजय राय ग्राम-दुर्गा नगर दीघा पोलसन पोस्ट-दीघा घाट थाना-दीघा जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~849807~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।


इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख,



ज्ञापांक

प्रतिलिपि-भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~878807~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह०/-

ज्ञापांक 1648(14)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.10.17

सं0सं0-14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 आर0 डी0 रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर
कंकड़बाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17. की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रशीदा खातुन पति-मो0 बदरूल हसन ग्राम-बड़ी मस्जिद पो0-रमना थाना-काजी मोहम्मदपुर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार .) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~818808~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- **1499002109000623** खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत राशि आपके संस्थान में पहुँचने से पूर्व मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो, तो इस स्वीकृत राशि को अविलंब विभाग को वापस किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

9/10

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 878808 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1645(14)

पटना, दिनांक 01-10-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
21/10/2017

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर
1, तुगलकाबाद इंडो ऐरिया एम.बी.रोड
नई दिल्ली 110062

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शमीमा इब्रार पिता-मो० इब्रार आलम ग्राम-रामपाड़ा थाना-नगर पोस्ट+जिला-कटिहार	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल रू० 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये का क्रास चेक सं०.....
218829.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 12.10.17-

ज्ञापांक 1678(14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/17
निदेशक प्रमुख
श्री. रंजन

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

श्री साई अस्पताल कंकड़बाग

लोहिया नगर पटना 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	युगल किशोर राय पिता-अधिकारी राय ग्राम+पो०-नत्थुद्वार थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	विकेश तिवारी पिता-बसंत तिवारी ग्राम+पो०-नन्दलालपुर थाना-जिला-वैशाली	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	राहुल कुमार पिता-राजहंस साह ग्राम+पो०+थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	गिरजा कुमार पिता-हजारी राय ग्राम-हिन्दुनी पोस्ट-आलमपुर गोनपुरा थाना-फुलवारी जिला-पटना	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	प्रेम कुमार सिंह पिता-शिव शंकर सिंह ग्राम-फरीदपुर पो०-बखरी सुपायन थाना-राजा पाकर जिला-वैशाली	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 3,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,50,000 /- (तीन लाख पचास हजार .) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 84-8810 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना—16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 84-8810 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1654 (14)

पटना, दिनांक 10.10.17

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
श्री. 2/10/17

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेहाना खातुन पति-परवेज बेग ग्राम-उसरी बुजुर्ग पो०-हसनपुरा थाना-एम०एच० नगर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 40,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000 /-(चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 818811 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /-
(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार

32
2/11/20

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~818811~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक 1647 (14)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09.10.17

प्रतिलिपि- लेखोपाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
09.10.17

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रदीप कुमार पिता-अजय रविदास ग्राम-दीनानाथ नगर पो०-मरुई थाना-रोह जिला-नवादा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	श्याम लाल साह पिता-धुप साह ग्राम-पो०-सरथा थाना-वेना जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	भागवत प्रसाद पिता-स्व. चन्द्रिका प्रसाद ग्राम-बरियारपुर पो०-गम्हरीया थाना-पचरुखी जिला-सीवान	नी रिपलेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	बेबी पियुष पिता-बेनी प्रसाद ग्राम-जगतपुर पोस्ट-चरण थाना-नरारी जिला-औरंगाबाद	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	राजेश भुनिया पिता-राज राज भुनिया ग्राम+पो०-भट्टा थाना-रोह जिला-नवादा	नी रिपलेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

६

6	गंगा राम पिता-स्व. देव नाथ ठाकुर ग्राम-पो0-चुरामनपुर थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर	नो रिपलेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	मीना देवी पति-अमित सिंह ग्राम-खुटीडीह पोस्ट-उमगा थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	बंटी कुमार पिता-भोला पासवान ग्राम-मीराचक पो0-आरा थाना-टाउन जिला-भोजपुर	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	भीखा प्रसाद पिता-बृज लाल प्रसाद साह ग्राम-रौजा पो0-आरा थाना-टाउन जिला-भोजपुर	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	चेतन राय पिता-स्व0 दिपेन्दु राय ग्राम-पो0-कंत थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	गंगा राम ठाकुर पिता-स्व. देव नाथ ठाकुर ग्राम+पोस्ट-सरबहदी थाना-मानपुर जिला-नालंदा	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
12	पांचु चौधरी पिता-स्व. राम ज्ञानी चौधरी ग्राम-सिलौंजा पोस्ट-सिरिस थाना-बारुण जिला-औरंगाबाद	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 11,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,00,000/- (ग्यारह लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 818806 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 848806 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1653(14)

पटना, दिनांक 10.10.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21.10.17

सं० सं० 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लालमुनी देवी पति-बली राय ग्राम-सेमरा पोस्ट+थाना-सोनपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	नुजहत सुल्तान पति-मो० सुल्तान ग्राम-176, लाइब्रेरी हाउस, डाक्टर महमुद साह लेन, दरियापुर गोला, पो०-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	सलीम मियां पिता-मनीर मियां ग्राम-बेलवा पोस्ट-आदापुर थाना-हरपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	मो० सगीर अली पिता-हनीफ मियां ग्राम-रधवा पोस्ट+थाना-कौवाकोल जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
5	मेहरून निशा पति-मो० शाहीद हुसैन ग्राम-अलमीजान नगर पो०+थाना-फुलवारी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

9/11/17

6	अंसारी खातुन पति-स्व. मो० खुर्शीद आलम ग्राम-सकुनत खुर्द पो०+थाना-बिहार शरीफ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
7	बबली देवी पति-रामजी मंडल ग्राम-पचना रोड लखीसराय पो०+थाना-लखीसराय जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
8	हीरामती कुंवर पति-स्व. राम नेह सिंह ग्राम+पोस्ट-बीरमपुर थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर, आरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
9	प्रभा देवी पति-मनोज कुमार चौधरी ग्राम-महुआबाग पोस्ट-सकरैचा थाना-परसा बाजार जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
10	अजय कुमार पिता-स्व. तेतर साव ग्राम-माया धाम कालोनी पो०-चांद चौरा थाना-सिविल लाईन जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ।
11	रामाकान्त मिश्रा पिता-स्व० राम दरस मेहता ग्राम-सोहसा पोस्ट-कटेरन थाना-कोचस जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत ।
12	चांदनी देवी पति-अर्जुन पोद्दार ग्राम-शुम्भा गाजी घाट पोस्ट-शुम्भा थाना-अलौली जिला-खगड़िया	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत ।
13	राम बिसुन राय पिता-स्व. चुन्नी राय ग्राम-भकुरा पो०-लोहर फरना थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर, अरा	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत ।

7/10

14	अशोक कुमार पिता-राजेश्वर सिंह ग्राम-सुकरबेग चक पो0+थाना-खुसरूपुर जिला-पटना	ब्रेन सर्जरी	₹ 1,50,000 / -(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
15	नीमा देवी पति-विनोद राय ग्राम-अलीपुर पोस्ट-बखरी सुपायन थाना-राजा पाकर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत।
16	महेश प्रसाद पिता-राम विष्णु प्रसाद ग्राम-जुआफर डीह पो0-नीरपुर थाना+जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत।
17	युवराज कुमार राम पिता-हरि शंकर राम ग्राम+पो0-सरसर थाना-जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 70,000 / -(सतर हजार) स्वीकृत।
18	नजमा खातुन पिता-अब्दुल मजिद ग्राम-खीजीरपुरा पोस्ट-नया गांव थाना-केसरिया जिला-पूर्वी चम्पारण	ब्रेन रोग (सर्जरी)	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
19	मो0 जियाउल हक पिता-इब्राहूल हक ग्राम-हैदरगंज कराह पो0-थाना-सिलाव जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
20	संजीत कुमार पिता-राम नन्दन प्रसाद ग्राम-मल्लिचक पो0-भंडारी थाना-रहई जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
21	उमेश राम पिता-बासदेव राम ग्राम-चक्का जिनीजाम पो0-थाना-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
22	राजेश कुमार पिता-राज कुमार राम ग्राम-एच0.पी0 बाग पोस्ट-आरा थाना-नवादा जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

23	कारु यादव पिता-बुटरी यादव ग्राम-गाडवरण पो0-मेडा थाना-कटोरिया जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
24	मनोरमा देवी पति-मोहन वर्मा ग्राम-अख्तियारपुर पो0+थाना-पालीगंज जिला-पटना	पेट रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
25	जमील अख्तर पिता-स्व. मो0 मोईन उद्दीन ग्राम-हैदरगंज कराह पोस्ट+थाना-सिलाव जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
26	रूबी खातुन पति-मो0 मोमीन ग्राम-राजगंज पोस्ट-लक्ष्मीपुर थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
27	भागीरथ बिन पिता-मदार बिन ग्राम-सेमरीया पो0-हरिपुर, थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर, आरा	हड्डी रोग (दुर्घटना)	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 24,30,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,30,000 /-(चौबीस लाख तीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 878805.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

८०५

(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~848805~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

Es/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 11650(14)

पटना, दिनांक 9-10-12

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वा स्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
21-10-12